जेसप एंड कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय की बिक्री

670. **प्रो॰ रामगोपाल यादवः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जेसप एंड कंपनी के मुख्य कार्यालय भवन नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय किसे और कितने में बेचा गया और इसे बेचे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सारी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स जेसप एंड कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय भवन को पश्चिम बंगाल सरकार को 27.20 करोड़ रुपये में बेचा गया है। भवन की बिक्री संबंधी कार्यवाही से बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा संस्वीकृत की गई कंपनी की पुनरुद्धार योजना को वित्तपोषित करना है।

(ग) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय भवन की बिक्री करने के प्रस्ताव को 19.2.1991 को इसके निदेशक मंडल ने अनुमोदित कर दिया था बाद में, इसे इसकी धारक कंपनी के निदेशक मंडल, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, शेयर धारकों ने वार्षिक आम बैठक में और सरकार तथा बी॰आई॰एफ॰आर॰ ने अनुमोदित कर दिया था। सरकार ने बिक्री संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। 17.12.97 को सार्वजनिक नीलामी विफल हो गई, चूंकि, केवल एक ही बोली कर्ता आया था उसकी बोली बहुत कम थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की थी। सरकार का अनुमोदन लेने के बाद कंपनी और पश्चिम बंगाल सरकार ने 29.12.1998 को बिक्री करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

Foreign Direct Investment

671. SHRI DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the likely inflow of Foreign Direct Investment into India during 1998-99; and

(b) how does this inflow compare with inflows during the preceding two years?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) The amount of FDI approved during the year 1998 is Rs. 30814 crore and the actual inflow during the year is Rs. 13320 crore. The actual inflow during the preceding two years i.e. 1996 and 1997 are respectively Rs. 10389 crore and Rs. 16425 crore against the approved FDI of Rs. 36147 crore during 1996 and Rs. 54891 during 1997.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

672. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत निवेश की तुलना में वास्तविक निवेश का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदकर इन्हें अपने अधिकार में ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के कितने मामलों का पता चला है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) महोदय, जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1998 तक 181391.55 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित किया गया है। इसकी तुलना में देश में अन्तः प्रवाह के रूप में 53057.51 करोड़ रुपये पहले ही आ चुका है, जो लगभग 29.3% है। अन्तप्रवाह और अनुमोदनों के बीच अन्तर अनुमोदित परियोजनाओं की अलग-अलग परिपक्वता अवधि के कारण है। विद्युत, दूरसंचार, अवसंरचना, आदि जैसी बड़ी परियोजनाओं में अन्तप्रवाह की प्राप्ति में अधिक विलंब हुआ है, जिनमें परिपक्वता अवधि अधिक होती है और निधियों का अन्तःप्रवाह परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न चरणों में होता है।

(ग) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार किसी विदेशी कंपनी द्वारा किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में पूंजी लगाने संबंधी प्रस्ताव के लिए एफ॰आई॰पी॰बी॰/सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाये आवश्यक होता है। शेयरों के अन्तरण हेतु अधिग्रहण संबंधी प्रस्तावों पर

एफ०आई०पी०बी० द्वारा केवल तब ही विचार किया जाता है जब इनका समर्थन लक्ष्य कंपनी के बोर्ड के संकल्प द्वारा किया गया हो। इस प्रकार वर्तमान नीति और प्रक्रियाओं में लक्ष्य भारतीय कंपनी की सहमति के बिना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से शेयरों के अधिग्रहण/अंतरण की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, अधिग्रहण संबंधी सभी अतिरिक्त, अधिग्रहण संबंधी सभी अनुमोदन सेबी (शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण व अधीनीकरण) विनियम, 1997 और शेयरों के अंतरण/मूल्यनिर्धारण के संबंध में यथा लागू सेबी/आर०बी०आई० दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के भी अधीन है।

Industrialisation in H.P.

673. SHRI ANIL SHARMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to answer to Unstarred Question 827 given in the Rajya Sabha on the 7th December, 1998 and state:

(a) the details of Central Transport Subsidy Scheme and all eligible units and the dates on which they have been extended in each case;

(b) whether the income tax holiday have since been set up for such industries, the details thereof, name-wise;

(c) the details of initiatives for promotion of small scale industries in Himachal Pradesh; and

(d) the details of two integrated infrastructure development centres sanctioned in Himachal Pradesh along with the dates of their functioning?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) The Transport Subsidy Scheme was introduced in July, 1971 with a view to promoting industrialisation of the notified hilly, remote and inaccessible areas which covers the entire North-Eastern Region, besides Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, 8 hill districts of Uttar Pradesh, Sikkim, Darjeeling district of West Bengal, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep. The Scheme is applicable to all industrial units barring plantations, refineries and power generating units both in the public and the private sectors

Under the Scheme, subsidy ranging between 50% to 90% is admissible on transportation cost incurred on movement of raw material and finished goods from the designated rail-head/ports upto the location of the industrial units and vice-versa. The subsidy claims are first scrutinised by the State Level Committee and disbursement made to eligible units by the State Governments. Reimbursement thereof is claimed subsequently by the State Government from the Central Government. The details of units benefitted by the Scheme are maintained by the State Government. The Scheme has been extended from time to time and is valid upto 31.3.2000. However, the Scheme has been extended upto 31.3.2007 for the States in North-Eastern Region.

(b) Income-tax holiday for a period of five years is available to all the industries which are to be set up in the State of Himachal Pradesh upto 31.3.2000.

(c) The Central Government is impelementing various plan schemes for development of small industries in the State of Himachal Pradesh namely, Prime Minister's Rozgar Yojana, Entrepreneurial Development Programme, Management Training Programme, Export Promotion, Ancillarisation, Sub-Contracting Exchanges, and Integrated Infrastructural Development Scheme. Small Industries Service Institute at Solan also provides consultancy/technical advice, common-service facilities and management entrepreneurial training for development of small industries in the State of Himachal Pradesh.

(d) Integrated Infrastructure Development (IID) Scheme aim at setting up of small scale units on cluster basis in rural and backward areas and promoting stronger linkage between agriculture and Industry. The details of the two Integrated Infrastructure Development Cen-